कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी आष्टा जिला सीहोर

क्र. 09 /भूअर्जन/2021

आष्टा दिनांक 01/02/2021

प्रति ,

90
2/2/2021

नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल (म.प्र.)

विषय : – भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की अधिसूचना के प्रकाशन बावत।

-------000------

उपरोक्त विषयांतर्गत कान्याखेडी मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु भू अर्जन प्रकरण 01/अ–82/2018–19 द्वारा ग्राम केशोपुर तहसील जावर अनुभाग आष्टा जिला सीहोर के कृषको की निजी भूमि के भू अर्जन की कार्यवाही प्रचलित हैं, जिसके तारतम्य में भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग–1 में होना हैं।

अतः उक्त अधिसूचना की दो प्रति संलग्न भेजकर अनुरोध हैं कि इसका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग–1 में करवाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

— हस्ता —
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन
अधिकारी आष्टा

पृ. क्र. 09 /भूअर्जन/2021

आष्टा दिनांक 01/02/2021

प्रतिलिपि–

1. संचालक जन संपर्क संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओंर विषयांकित अधिसूचना की 5 प्रतियां संलग्न भेजकर अनुरोध हैं कि इसका प्रकाशन दो समाचार पत्रो में करवाकर, समाचार पत्र की प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. कलेक्टर महोदय भू अर्जन शाखा सीहोर की ओंर संप्रेषित। सार्वजनिक सूचना का प्रारूप कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
3. तहसीलदार जावर की ओंर सार्वजनिक सूचना का प्रारूप तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।

4. जिला सूचना अधिकारी (**NIC**) सीहोर की ओर सार्वजनिक सूचना के प्रारूप की एक प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग आष्टा की ओंर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। संचालक जन संपर्क संचालनालय भोपाल के उक्त पत्र की प्रति संलग्न भेजी जा रही हैं। पत्र संचालक जन संपर्क संचालनालय भोपाल में भिजवाकर उनकी पावती इस कार्यालय में भिजवाएं एवं सार्वजनिक सूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन होने पर संबंधित समाचार पत्रो की प्रति संकलित कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपलब्ध कराए।
6. पंचायत सचिव ग्राम पंचायत डोडी की ओर सार्वजनिक सूचना का प्रारूप ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन
अधिकारी आष्टा

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग सीहोर

प्रारूप धारा 11

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

सीहोर दिनांक 30/01/2021

:: प्रारंभिक अधिसूचना ::

प्रकरण क्रमांक 01 /अ–82/2018–2019 , चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पडने की संभावना हैं, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारादी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं।

–अनुसूची –

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल एकड/ हेक्टयर	धारा 12 हंतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सीहोर	जावर	केशोपुर	185.10 एकड 74.909 हेक्टयर	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग सीहोर	कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भू–अर्जन

2. भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता हैं।

3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील आष्टा में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अजय गुप्ता)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव

म.प्र.शासन राजस्व विभाग सीहोर